N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S)

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** इंदौर अर्बन **P.S. (थाना):** बाणगंगा
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0187 **Year (वर्ष):** 2025
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 14/02/2025 19:54 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	3
2	आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955	7
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day (दिन):** मंगलवार
Date From (दिनांक से): 11/02/2025
Date To (दिनांक तक): 11/02/2025
Time Period (समय अवधि): पहर 2
Time From (समय से): 06:00 बजे
Time To (समय तक): 06:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 14/02/2025
Time (समय): 19:30 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 082
Date & Time (दिनांक और समय): 14/02/2025 19:54

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा):** उत्तर - पश्चिम, 04 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) **Address (पता):** ग्राम बरदरी रेवती रेन्ज रोड ,आरबीटी फेक्ट्री के बगल में ,स्थित सतीश मित्तल के गोदाम में

   (c) **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):**
   Name of P.S.(थाना का नाम): **District(State) (ज़िला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):**
   (a) **Name (नाम):** राहुल शर्मा
   (b) **Father's Name (पिता का नाम) :** जगदीश प्रसाद शर्मा
   (c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 1987 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** भारत
   (e) **UID No. (यूआईडी सं.):**
   (f) **Passport No.(पासपोर्ट सं.):** **Date of Issue (जारी करने की तिथि):**
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN)**

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

   (h) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	खाद्य विभाग कलेक्टर कार्यालय ,इन्दौर ,बाणगंगा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	खाद्य विभाग कलेक्टर कार्यालय ,इन्दौर ,बाणगंगा,इंदौर अर्बन,मध्य प्रदेश, भारत

   (i) **Occupation (व्यवसाय):**
   (j) **Phone number (दूरभाष सं.):**
   Mobile (मोबाइल सं.): 91-8889147033

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात **अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**
   Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	सतीश अग्रवाल /			1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
2	संजय गुप्ता /			1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
3	रामजीप्रसाद गुप्ता /			1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
4	गोदाम मालिक सतीश /		पिता का नाम : अमरनाथ मित्तल	1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
5	वरूण /		पिता का नाम : गुलाबराव सोनारे	1. मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स ,अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
6	चौकीदार राजेन्द्र सिंह /			1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
7	ट्रक ट्राला ड्रायवर करण /		पिता का नाम : नेपाल नरगेश	1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
8	हेल्पर राहुल /		पिता का नाम : पर्वत मुवेल	1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
9	अमीन /			1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत
10	मोहित अजमेरा /			1. संचालक अजमेरा रोड लाइन्स , इंदौर,बाणगंगा,इंदौर अर्बन,मध्य

				प्रदेश,भारत

11	वाहन मालिक सचिन /		पिता का नाम : जीवाजी राव साठे	1. अज्ञात,बाणगंगा,इंदौर अर्बन, मध्य प्रदेश,भारत

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant** (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest** (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-)**-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any** (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents** (प्रथम सूचना तथ्य):

मै थाना बाणगंगा पर स.उ.नि के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हूं । आज दिनांक 14/02/2025 को हाजिरी ड्यूटी के दौरान कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) विभाग जिला इंदौर के लेखी आवेदन क्रमांक 3014/ खाद्य/विधि/2025 इंदौर दिनांक- 13/02/2025 राहुल शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी खाद्य विभाग कलेक्टर कार्यालय इन्दौर ने प्रस्तुत किया । आवेदन पत्र के मजमून से आरोपियां (1)सतीश अग्रवाल (2) संजय गुप्ता (3)रामजीप्रसाद गुप्ता (4) गोदाम मालिक सतीश पिता अमरनाथ मित्तल (5) वरूण पिता गुलाबराव सोनारे मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स (6) चौकीदार राजेन्द्र सिंह (7)ट्रक ट्राला ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश (8) हेल्पर राहुल पिता पर्वत मुवेल (9)अमीन (10)मोहित अजमेरा संचालक अजमेरा रोड लाइन्स इंदौर (11)वाहन मालिक सचिन पिता जीवाजी राव साठे द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम ,1955 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के अंतर्गत प्रथम दृष्टया अपराध घटित करना पाया जाने से कायमी कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। नकल आवेदन निम्नानुसार है- कार्यालय कलेक्टर (खाद्य) जिला इंदौर क्रमांक 3014/खाद्य/विधि/2025इंदौर दिनांक- 13 फरवरी 2025 प्रति,थाना प्रभारी,पुलिस थाना बाणगंगा इंदौर विषय:-मुख्य आरोपी सतीश अग्रवाल, संजय गुप्ता, रामजीप्रसाद गुप्ता, सह-आरोपी गोदाम मालिक सतीश पिता अमरनाथ मित्तल, वरूण पिता गुलाबराव सोनारे मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स, चौकीदार राजेन्द्र सिंह, ट्रक ट्राला ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश, हेल्पर राहुल पिता पर्वत मुवेल, अमीन, मोहित अजमेरा संचालक अजमेरा रोड लाइन्स इंदौर, वाहन मालिक सचिन पिता जीवाजी राव साठे द्वारा सार्वजनिक वितरण पणाली में वितरित होने वाला फोर्टिफाईड चावल के अवैध भंडारण, क्रय विक्रय एवं परिवहन करने पर म0प्र0 सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेष 2015 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने बाबत्। दिनांक 11.02.2025 को तड़के सुबह लगभग 4.00 बजे के आस-पास सूचना देने हेतु शिकायतकर्ता द्वारा अपनी गोपनीयता बनाए रखते हुए जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल. मारू से दूरभाष- 9009512393 पर शिकायत की गयी कि ग्राम बरदरी रेवती रेन्ज रोड आरबीटी फेक्ट्री के बगल में स्थित सतीश मित्तल के गोदाम में अवैध सार्वजनिक वितरण प्रणाली के चावल को एक ट्राला वाहन में भरा जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर तत्काल जिला आपूर्ति नियंत्रक महोदय के द्वारा राहुल शर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दूरभाष-9752305142 को तत्काल मौके पर अन्य

अधिकारियों को साथ लेकर कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गए। तत्पश्चात प्राप्त निर्देशों के पालन में तत्काल सहायक आपूर्ति अधिकारी श्री शिवसुन्दर व्यास को दूरभाष-9993002077 पर शिकायत की जानकारी देकर उक्त गोदाम पर तत्काल उपस्थित होने हेतु सूचित कर जांच हेतु निकल गया। मौके पर गोदाम पहुंचकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्नानुसार स्थितियां पाई गई -1.जाँच समय मौका स्थल पर एक बड़ा 16 चक्का ट्रक ट्राला वाहन क्रमांक एम.एच.20जी.सी.3192 खड़ा पाया गया। ट्रक में प्लास्टिक (पीपी) के लूज बारदानों में लगभग 600 बोरे चावल रखा होना पाया गया। मौके पर मजदूर एवं पंचों के समक्ष ही गोदाम के अन्दर जाकर निरीक्षण करने पर उक्त गोदाम में भी लगभग 100 प्लास्टिक(पी.पी.) बारदानों में चावल रखा होना पाया गया। 2.गोदाम पर उपस्थित ट्रक ड्रायवर, हेल्पर, कुछ हम्माल और पंचगणों द्वारा बताया गया कि उक्त चावल इस ट्रक में लोड होकर गुजरात जाने वाला था। उक्त चावल सतीश अग्रवाल नामक व्यापारी का है। ड्रायवर करण एवं हेल्पर राहुल के द्वारा उक्त गोदाम में रखा चावल व्यापारी सतीश अग्रवाल एवं उनके व्यापारिक सहयोगी/पार्टनर संजय गुप्ता का है। मौके पर सतीश अग्रवाल एवं संजय गुप्ता से संपर्क करने पर जांच समय उपस्थित नहीं हुये। 3.गोदाम स्थल पर उपस्थित चौकीदार राजेन्द्र के द्वारा बताया गया कि सतीश मित्तल वर्तमान में प्रयागराज कुंभ स्नान में गए हैं। 4.तत्पश्चात जांच समय ट्रक में रखे चावल की बोरियों से रेंडम आधार पर चावल का कम्पोजिट नमूने हाथ में लेकर परीक्षण करने पर चावल में फोर्टिफाईड कर्नेल के दाने प्राप्त हुए, मग जैसे पात्र में पानी भरकर कम्पोजिट नमूने के दाने पानी में डालने पर चावल के दाने डूब गए एवं फोर्टिफाईड कर्नेल के दाने तैरने लगे जिससे ट्रक में भरा उक्त चावल प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला फोर्टिफाईड चावल होना पाया गया। इसके पश्चात गोदाम में रखे चावल की बोरियों में से रेंडम आधार पर चावल के कम्पोजिट नमूने हाथ में लेकर परीक्षण करने पर चावल में फोर्टिफाईड कर्नेल के दाने प्राप्त हुए। मग जैसे पात्र में पानी भरकर कम्पोजिट नमूने के दाने पानी में डालने पर चावल के दाने डूब गए एवं फोर्टिफाईड कर्नेल के दाने तैरने लगे जिससे गोदाम में भरा उक्त चावल प्रथम दृष्टया सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला फोर्टिफाईड चावल होना पाया गया।5.जांच समय ट्रक में रखे चावल की बोरियों में से एवं गोदाम में रखे चावल की बोरियों में से रेण्डम आधार पर चावल के कम्पोजिट एक-एक किग्रा मात्रा के तीन-तीन नमूने, कुल छः नमूने वाहन चालक करण से लिये जाकर सील बंद किये गये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित किया जाने वाला फोर्टीफाइड चावल होने के कारण ट्रक वाहन एम.एच.20जी.सी.3192 चावल मय बारदाना तथा गोदाम में रखा चावल मयबारदाना वाहन चालक करण नरगेश से जप्ती पत्रक अनुसार जब्त किया गया। 6.तत्पश्चात गोदाम मालिक सतीश मित्तल, चावल मालिक सतीश अग्रवाल एवं संजय गुप्ता को सूचाना देने पर भी जांच स्थल पर उपस्थित नहीं होने एवं जांच स्थल पर उपस्थित ड्रायवर, हेल्पर, हम्माल आदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा चावल से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही करने के कारण गोदाम को पंचों के समक्ष सील किया गया।7.जब्तशुदा ट्रक मय चावल का कुल वजन 412.20 क्विंटल को सुपुर्दगीनामा अनुसार शाखा प्रबंधक एम.पी.डब्लू.एल.सी. शाखा राऊ श्री विल्मन मोरे को सुपुर्दगी में दिया गया। मौके पर लिये गये चावल के नमूनों के केमिकल प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट देने हेतु जिला प्रबंधक, म.प्र. स्टेट सिविल स्पलाईज कार्पोरेशन लि0 इंदौर एवं जिला प्रबंधक, म.प्र. वेयर हाउसिंग एवं लजिस्टिक कार्पोरेशन इंदौर को दिनांक 11.02.2025 को पत्र के साथ एक-एक किग्रा मात्रा के दो नग चावल के सेम्पल (एक ट्रक का एवं एक गोदाम का) भेजे गये। जांच क्रम में दिनांक 13.02.2025 को चावल नमूनों की जिला प्रबंधक एमपीएससीएससी एवं जिला प्रबंधक एमपीडब्लूएलसी जिला इन्दौर से रिपोर्ट क्रमांक/सा.वि.प्र./2024-25/794 इंदौर दिनांक 13.02.2025 प्राप्त हुई जिसमें लेख है कि जब्त चावल फोर्टीफाइड चावल है जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रदाय किया जाता है।निष्कर्ष - उपरोकानुसार की गई जांच, प्रस्तुत बिल, कथन आदि की जांच से स्पष्ट होता है कि:- 1.खसरा क्रमांक 2/2 ग्राम बरदरी रेवती रेन्ज रोड आरबीटी फेक्ट्री के बगल में, पर स्थित गोदाम सतीश मित्तल पिता श्री अमरनाथ मित्तल के स्वामित्व का है।2.पाए गए तथ्यों एवं सबूतों से स्पष्ट होता है कि सतीश मित्तल के द्वारा संजय गुप्ता को बिना किसी लिखित एग्रीमेंट के किराए से देने हेतु उनके अधिकृत मैनेजर वरूण सोनारे को कहा गया दिनांक 07.02.2025 की तारीख में सतीश मित्तल के द्वारा वरूण सोनारे को व्हाटसएप पर भेजे गए एग्रीमेंट

का कच्चा ड्राफ्ट में उल्लेखित है कि मैं संजय, सतीश मित्तल से आज दिनांक एक गोदाम 09 रूपये प्रति फीट से ले रहा हूं, आधार कार्ड संलग्न है। चूंकि सतीश मित्तल कुंभ के लिए प्रयागराज जा रहे है इसलिए लिखापढी नहीं हो पा रही। दिनांक 11.02.2025 को लिखापढी कर लेंगे, अभी सामान रख रहे है। इसके अतिरिक्त 06 एवं 07.02.2025 को सतीश मित्तल के द्वारा संजय गुप्ता से मोबाईल नंबर 9827300836 पर की गई चर्चा की दो रिकर्डिंग सतीश मित्तल ली गई जिनके अंश में सतीश मित्तल के द्वारा संजय गुप्ता को दीपमाला ढाबा के सामने स्थित उनकी फेक्ट्री पर आकर आधार कार्ड देने एवं बिना लिखित एग्रीमेंट के अभी सामान (अनाज) रखने हेतु स्वीकृति दी गई। 3-सतीश मित्तल के द्वारा उक्त गोदाम को संजय गुप्ता को किराए पर देने के लिए उनके मैनेजर वरूण सोनारे पिता गुलाबराव सोनारे को कहा गया एवं लिखित एग्रीमेन्ट प्रयागराज से लौटकर करने हेतु कहा गया, जिससे स्पष्ट है कि सतीश मित्तल एवं वरूण सोनारे द्वारा पूरी जानकारी होने के बावजूद संजय गुप्ता एवं अन्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाले फोर्टिफाईड चावल भंडारण हेतु बिना लिखित एग्रीमेंट के अनुमति दी गई।4-गोदाम परिसर में लगे सी.सी.टी.वी कैमरो की लाईव एक्सेस सतीश मित्तल एवं वरूण सोनारे के फोन पर पाई गई, जिससे स्पष्ट होता है कि सतीश मित्तल एवं वरूण सोनारे द्वारा प्रतिदिन निरंतर अपने मोबाईल पर गोदाम पर वाहन, सामग्री आदि आने-जाने की निगरानी की जाती थी । 5-उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सतीश मित्तल एवं वरूण सोनारे के द्वारा सतीश अग्रवाल एवं संजय गुप्ता के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाले फोर्टिफाईड चावल के अवैध क्रय-विक्रय, भंडारण, परिवहन, कालाबाजारी, अफरा-तफरी करने में सतीश अग्रवाल एवं संजय गुप्ता का सहयोग, मिलीभगत एवं आपसी संलिप्तता को दर्शाता है। 6-जांच में ट्रक ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश एवं चौकीदार राजेन्द्र सिंह द्वारा उनके कथन में स्वीकार किया गया है कि गोदाम एवं ट्रक में रखा चावल सतीश अग्रवाल एवं संजय गुप्ता के है।7-मोहित अजमेरा पिता महावीर अजमेरा, सचालक अजमेरा रोड लाइन्स इंदौर द्वारा अपने कथन में स्वीकार किया गया है कि अमीन के बताए अनुसार उक्त गोदाम एवं ट्रक मे रखा चावल सतीश अग्रवाल एवं रामजीप्रसाद गुप्ता का है एवं उनके द्वारा इसका क्रय विक्रय किया जा रहा था।8-जांच में पाए गए तथ्यो से स्पष्ट है कि अमीन, मोहित अजमेरा, सचिन साठे वाहन मालिक के द्वारा सार्वजकि वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला फोर्टिफाईड चावल का बिना किसी बिल-बुक, अनुमति, वैध दस्तावेज के अवैध रूप से परिवहन हेतु ट्रक वाहन लगाया गया। 9-सतीश अग्रवाल, संजय गुप्ता, रामजीप्रसाद गुप्ता के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरित होने वाला फोर्टिफाईड चावल का बिना किसी अनुज्ञप्ति/अनुमति के अवैध रूप से भंडारण, क्रय विक्रय किया गया है।इस प्रकार मुख्य आरोपी सतीश अग्रवाल, संजय गुप्ता, रामजीप्रसाद गुप्ता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले फोर्टिफाईड चावल का अवैध भंडारण, क्रय-विक्रय, परिवहन, कालाबाजारी, अफरा-तफरी की गई है एवं सह-आरोपी गोदाम मालिक सतीश मित्तल पिता अमरनाथ मित्तल, वरूण सोनारे पिता गुलाबराव सोनारे मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स, चौकीदार राजेन्द्र सिंह, ट्रक ट्राला ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश, हेल्पर राहुल मुवेल पिता पर्वत मुवेल, अमीन, मोहित अजमेरा संचालक अजमेरा रोड लाइन्स इंदौर, वाहन मालिक सचिन साठे पिता जीवाजी राव साठे की भूमिका सह-आरोपी की रही है।अतः मुख्य आरोपी सतीश अग्रवाल, संजय गुप्ता, रामजीप्रसाद गुप्ता, सह-आरोपी गोदाम मालिक सतीश मित्तल पिता अमरनाथ मित्तल, वरूण सोनारे पिता गुलाबराव सोनारे मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स, चौकीदार राजेन्द्र सिंह, ट्रक ट्राला ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश, हेल्पर राहुल मुवेल पिता पर्वत मुवेल, अमीन, मोहित अजमेरा संचालक अजमेरा रोड लाइन्स इंदौर, वाहन मालिक सचिन साठे पिता जीवाजी राव साठे द्वारा किया गया उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 की कंडिका 13(2) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय है एवं सहायक अभियोजन अधिकारी जिला इंदौर से प्रकरण के संबंध में कानूनी सलाह लिये जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) में भी अपराध पंजीबद्ध किया जाना ह अतः मुख्य आरोपी सतीश अग्रवाल, संजय गुप्ता, रामजीप्रसाद गुप्ता, सह-आरोपी गोदाम मालिक सतीश मित्तल पिता अमरनाथ मित्तल, वरूण सोनारे पिता गुलाबराव सोनारे मैनेजर मण्डी गोविंदगण स्टील्स, चौकीदार राजेन्द्र सिंह, ट्रक ट्राला ड्रायवर करण पिता नेपाल नरगेश, हेल्पर राहुल मुवेल पिता पर्वत मुवेल, अमीन, मोहित अजमेरा संचालक अजमेरा रोड लाइन्स

इंदौर, वाहन मालिक सचिन पिता जीवाजी राव साठे के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) तत्काल दर्ज करने का कष्ट करें। (अपर कलेक्टर महोदय द्वारा आदेषित)संलग्न:- मूल जांच प्रतिवेदन मय सहपत्रों सहित पृष्ठ क्रमांक 01 से 32 तक। (एम.एल. मारू) जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला इंदौर पृ.क्रमांक 3015 /खाद्य/विधि/2025 इंदौर दिनांक - 13 फरवरी 2025 प्रतिलिपि:-1.कलेक्टर महोदय, जिला इंदौर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित। 2.उपायुक्त, पुलिस, जोन 3, जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ। 3. अपर कलेक्टर (खाद्य), जिला इंदौर की ओर सूचनार्थ। 4. श्री राहुल शर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, जिला इंदौर की ओर भेजकर लेख है कि आप कार्यालय से तत्काल प्रकरण के मूल दस्तावेज प्राप्त कर संबंधित थाने में प्रतिवेदन अनुसार प्रथम सूचना रिपे र्ट दर्ज कराकर एफआईआर की एक प्रति के साथ-साथ प्रतिवेदन की 01 सत्यापित प्रति आगामी कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करें। जिला आपूर्ति नियंत्रक के हस्ताक्षर अंग्रेजी मे अपठनीय जिस पर जिला आपूर्ति नियंत्रक जिला इन्दौर सील लगी है । (म.प्र.)13/02/2025

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है I)

or (या)

(1) **Registered the case and took up the investigation:**
(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** RAHUL KALE
No.(सं.): 1
Rank (पद): OFFICIATING SUB INSPECTOR

to take up the Investigation
(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):**

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.) थाना प्रभारी के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गई

FIR Writer (कायमीकर्ता के हस्ताक्षर)

Name (नाम): मोहन कांस्टेबल

Rank (पद): का. उ.नि.

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम):Siyaram singh

Rank(पद): I (Inspector)

No.(सं.):

Sharma

14.Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15.Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))